समाहरणालय, मुंगेर

(जिला विकास शाखा)

आदेश

कब्रिस्तान घेराबन्दी योजनान्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर (मुंगेर) के पत्रांक--861/गो0, दिनांक--20.06.2018 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल, मुंगेर के पत्रांक--740/अनु0 दिनांक--23.07.2018 के द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निम्न तालिका में उल्लेखित योजनाओं का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सरकार के प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक--9811 दिनांक--07.11.2012 के द्वारा प्राप्त दिशा--निर्देश के आलोक में तालिका में उल्लेखित योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व कार्यपालक अभियंता, LAEO को सौंपा जाता है। कब्रिस्तान घेराबंदी मद में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,मुंगेर को गृह विशेष विभाग से प्राप्त आवंटन में से उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा।

कार्यकारी ऐजेन्सी द्वारा योजना का क्रियान्वयन सरकार द्वारा समय--समय पर जारी दिशा--निर्देश एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा। स्वीकृत कब्रिस्तान घेराबंदी योजना का मूल अभिलेख प्राक्कलन सहित कार्यकारी ऐजेन्सी को वापस किया जाता है। योजना का विवरण निम्नवत है:--

क्र0	स्वीकृत योजना(कब्रिस्तान)का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5
1	खड़गपुर प्रखंड के अन्तर्गत गौरा कब्रिस्तान के बचे भू--भाग की घेराबन्दी का कार्य	कार्य0अभि0,स्था0क्षे0 अभि0सं0,कार्य0प्र0,मुंगेर।	10,84,200/--	10,84,200/--
		कुल	10,84,200/--	10,84,200/--

गो0 दस लाख चौरासी हजार दो सौ रुपये मात्र।

शर्तें :--

1--संबंधित कार्यकारी एजेंसी को आदेश दिया जाता है कि प्राक्कलन के अनुरुप गुणवत्तापूर्ण कार्य करायेगें।

2--योजना का कार्यान्वयन 03 (तीन) माह के अन्दर निश्चित रुप से पूर्ण करायेगे तथा विहित प्रपत्र में पूर्णता प्रमाण--पत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगें। किसी भी परिस्थिति में कार्य अवधि का विस्तार मान्य नहीं होगा।

3--कार्य के प्रारम्भ, अन्त तथा बीच--बीच में कब्रिस्तानों का फोटोग्राफ लेंगे तथा प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 2री तारीख तक अधोहस्ताक्षरी को भेजेंगे।

4--कार्य स्थल पर योजनाओं का साईन बोर्ड लगायेगें।

5--योजना क्रियान्वयन के पूर्व कार्यकारी एजेंसी योजना स्थल का निरीक्षण कर आश्वस्त हो लेंगे कि इस योजना में विगत पाँच वर्षो से किसी विभाग/मद द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। यदि कार्य स्थल पर किसी प्रकार का कार्य पूर्व से किया हुआ पाया जाय, तो कार्य आरम्भ करने से पूर्व इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।

6--कार्य की गुणवत्ता की सारी जिम्मेवारी संबंधित कार्यकारी एजेंसी की होगी।

7--योजना का निरीक्षण एवं प्रवेक्षण संबंधी कार्य अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

8--किसी भी योजना में निजी जमीन पर कार्य नही होना चाहिए, यदि किसी समय यह पता चलता है कि कोई योजना किसी व्यक्ति विशेष कि निजी जमीन पर कार्यान्वित की जा रही है तो इसकी सारी जबाबदेही कार्यान्वयन एजेन्सी की होगी।

9--कब्रिस्तान घेराबंदी मद में उपलब्ध करायी गयी राशि को व्यय किसी अन्य मद में नही करेगें तथा व्यय के उपरान्त कब्रिस्तान--वार, विपत्र--वार, डी0 सी0 विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगें, ताकि प्रतिहस्ताक्षरित कर डी0 सी0 विपत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजा जा सके।

10--राशि व्यय के उपरांत कब्रिस्तानवार उपयोगिता प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगें।

D:\JAYRAM\D-M to LAEO Rajeev 22-02-16.doc

11 उपरोक्त उल्लेखित शर्तो का प्रविष्टि कार्यादेश एवं एकरारनामा में अं

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनुलग्नक:--प्राक्कलन का मूल प्रति संलग्न।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 167 /जि0वि0, दिनांक 05.09.18

प्रतिलिपि--कार्यपालक अभियंता,स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल,मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर,(मुंगेर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि--कोषागार पदाधिकारी/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

D:\JAYRAM\D-M to LAEO Rajeev 22-02-16.doc